## कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्राँक:- 5088 /12- गोपेश्वर, दिनांक 14-6 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वाराः– विषयः–

महोदय,

निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर। प्रस्तावित सिमली – शैलेश्वर मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

西0	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from FRA documents uploaded at Para-K of online Part-I that the District Level Committee meeting was held on 19.06.2015 but the date has not been mentioned in the FRA certificate issued by the DC. Further, it is also seen that the Sub Division Level Committee meeting was held on 12.03.2015 but the date is mentioned as 28.02.2015 and 22.06.2016 in the proceedings of Village Level Committee meeting of Naini & Kanot villages. These dates are not in a logical sequence. As per logical sequence Village Level Committee meetings are to be followed by the Sub Division Level Committee' meeting & Sub Division Level Committee meeting is to be followed by the District Level Committee meeting and the FRA certificate is to be issued by the DC after District Level Committee meeting. Further, it is also seen that the proceedings of Village Level Committee meeting of Malla Gwad village shown in the village wise breakup in Para- B-2.3 has not been submitted.	किला स्तरीय कमेटी में वन अधिकार अधिनियम में दिनांक अंकित करते हुए तथा में वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र को सही कर पाट ा के पैरा K (a) में अपलोड किया गया है।मल्याग्वाड ग्राम पंयायत कनोठ के अन्तर्गत आता है। अतः ग्राम कनोठ एंव मल्याग्वाड की ग्राम स्तरीय कमेठी संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग के पत्रांक / 10 एल०ए० दिनांक 11-06-2017 की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0) उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीत्र प्रभाग, गोपेश्वर।



## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail:-eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक: -1349/10 स्टा॰ स्ट

दिनांक :- 11 /06/2017

सेवा में .

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वनप्रभाग गोपेश्वर, (चमोली)

विषय:-

सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण

के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

EDS दिनांक 18.04.2017 |

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आपके द्वारा लगायी गयी

आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
-1	It is seen from FRA documents uploaded at Para-K of online Part-I that the District Level Committee meeting was held on 19.06.2015 but the date has not been mentioned in the FRA certificate issued by the DC. Further, it is also seen that the Sub Division Level Committee meeting was held on 12.03.2015 but the date is mentioned as 28.02.2015 and 22.06.2016 in the proceedings of Village Level Committee meeting of Naini & kanot villages. These dates are not in a logical sequence. As per Logical Sequence Village Level Committee meetings are to be followed by the Sub Division Level Committee meeting & Sub Division Level Committee Meeting is to be followed by the District Level Committee Meeting and the FRA certificate is to be issued by the DC after District Level Committee meeting. Further, it is also seen that the proceedings of village Level Committee meeting of Malla Gwad village Shown in the village wise breakup in Para- B-2.3 has not been submitted.	

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- संशोधित FRA Certificate

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग